

प्रति,

दिनांक

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा),
क्षेत्रीय कार्यालय—.....
.....

विशय:- छत्तीसगढ़ राज्य अन्तर्गत सौर ऊर्जा शॉप हेतु वर्ष 2022-23 में सौर मित्र के रूप में पंजीयन संबंधी।

महोदय,

मैं इकाई
के वास्ते छत्तीसगढ़ राज्य अन्तर्गत सौर ऊर्जा शॉप हेतु वर्ष 2022-23 में सौर मित्र के रूप में पंजीयन कराना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:-

1	आवेदक का नाम (फर्म/कम्पनी/व्यक्ति)	
2	फर्म/कम्पनी/व्यक्ति जिनका वाणिज्य कर कार्यालय में पंजीयन हो	पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक वैधता दिनांकतक
3	पता जिस पते पर (फर्म/कम्पनी/व्यक्ति) पंजीयन हो	
4	पत्राचार हेतु इकाई का विस्तृत पता	
5	PAN No.-	
6	GST No.	
7	इकाई के Proprieter/Director/Secretary का दूरभाष नं./मोबाईल नं./फैक्स/ई-मेल	
8	इकाई के प्रतिनिधि का विस्तृत जानकारी जिनसे इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क किया जाए दूरभाष नं./मोबाईल नं./फैक्स/ई-मेल	
9	क्या इकाई द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण लिया गया है ?	
10	नेटवर्थ (लाख में)	
11	वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी (विस्तृत जानकारी संलग्न करें)	
12	क्या क्रेडा में कोई रिश्तेदार कार्यरत है ? यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी दें।	
13	क्या आवेदक के पास आई.टी.आई. का सर्टिफिकेट है ?	
14	क्या इकाई वर्ष 2021-22 में सौर मित्र के रूप में पंजीकृत थी ? यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	
15	तकनीकी योग्यता	
16	पंजीयन/नवीनीकरण हेतु जमा किया जा रहा शुल्क	राशि रुपये

आवेदक का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

Details of Local Office & Available Infrastructure

1. Local Office Address:-
.....
.....
.....
2. Local Office Contact Person:-
3. Details of Local Technical/Non-Technical Staff :-
 - (a) Name Designation.....
Skilled on
Contact No.(Mobile)
 - (b) Name Designation.....
Skilled on
Contact No. (Mobile)
4. Services facility available in Chhattisgarh:-
.....
.....
5. Training attended in an organization approved by MNRE/CREDA
.....
.....
6. Comments of Executive Engineer of Concerned Regional Office :-
.....
.....

Regional office CREDA,- Raipur/ Bilaspur/ Jagdalpur/ Sarguja/ Rajnandgaon / Raigarh/ Dantewada.

Commercial Information

Strike off, which is not applicable. Separate sheet should be used.
(if necessary)

- 01.** Processing fees details : (i) Bank draft/Bankers cheque in favour of CREDA payable at, Raipur
: (ii) Name of Bank
: (iii) DD No./date
: (iv) Amount Rs.

02. PAYMENT TERMS:

Whether CREDA's terms of payment is : Yes/No
acceptable to the applicant
(If not state conditions)

03. GST No. :

04. PAN Number of the Applicant :

PLACE:-

SIGNATURE OF Applicant

DATE:-

NAME IN FULL

DESIGNATION/STATUS

FIRM/COMPANY SEAL.....

—: सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप के स्थापना हेतु दिशा-निर्देश :—

1. राज्य के सभी जिलों में “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” खोले जाने की अनुमति दी जाएगी।
2. इच्छुक इकाई को “सौर मित्र” के रूप में पंजीयन कराना होगा। इस हेतु रूचि की अभिव्यक्ति क्रेडा के वेब-साईट पर जारी किये जायेंगे।
3. इच्छुक इकाई जो इलेक्ट्रानिक सामग्री विक्रय/सुधार इत्यादि का अनुभव रखता हो वह “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” खोलने हेतु आवेदन क्रेडा के नज़दीकी कार्यालय में जमा करा सकता है।
4. “सौर मित्र” को “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” के व्यवसायिक कार्यों हेतु जी.एस.टी. पंजीयन होना आवश्यक है।
5. प्राप्त प्रस्ताव पर प्रथम आओ प्रथम पाओ नीति के आधार पर इकाईयों का पंजीयन कराया जाएगा।
6. “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” के पंजीयन हेतु आवश्यक शुल्क रू **10,000/-** (लागू दर अनुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त) क्रेडा में आवेदन के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. यदि किसी आवेदनकर्ता का आवेदन किन्ही कारणवश अमान्य हो जाता है, तो पंजीयन शुल्क आवेदनकर्ता को मूलतः वापस कर दिया जाएगा।
8. “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” में सोलर होम लाईट, सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर जनरेटर, सामान्य इन्वर्टर का सोलरईजेशन, सोलर टी.वी., सोलर फेन, सोलर पैनल्स, एल.ई.डी. बल्ब, सोलर टास्क लाईट, सोलर स्टडी लैम्प, सोलर लालटेन आदि सामग्रियों के विक्रय की पात्रता होगी।
9. “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” मार्केट-मोड योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र में कार्य करने हेतु किया जाता है। पंजीकृत इकाई सीधे किसी भी शासकीय विभागों/संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन प्रबंधन समिति) में कार्य करने हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि किसी पंजीकृत इकाई द्वारा सीधे तौर पर शासकीय संस्थाओं पर सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो क्रेडा द्वारा संबंधित पंजीकृत इकाई के पंजीयन निरस्त करने का एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
10. “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” से विक्रय हेतु सामग्री क्रेडा में पंजीकृत इकाई से क्रय कर हितग्राही को दी जायेगी।
11. “सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप” से विक्रय की गई सामग्री हेतु 05 वर्ष की वारंटी “सौर मित्र” द्वारा हितग्राही को दी जाएगी।
12. उपरोक्त वारंटी/रखरखाव सुविधा प्रदान करने हेतु इकाई को अपने शॉप में कम से कम एक आई.टी.आई. होल्डर अथवा इलेक्ट्रीकल कार्य में 02 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारी को रखना अनिवार्य होगा।
13. संयंत्र में क्रेडा के मार्केट-मोड योजना के तहत प्रचलित अनुदान हितग्राही को देने हेतु सौर मित्र को क्रेडा द्वारा निर्धारित प्रारूप में “अनुदान आवेदन” क्रेडा कार्यालय में जमा कराया जाएगा। तदुपरांत मार्केट-मोड की प्रचलित दिशा-निर्देश अनुसार अनुदान विमुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

निरंतर

14. प्रत्येक सौर मित्र को प्रति वर्ष न्यूनतम 25 संयंत्रों का विक्रय करना होगा।
15. "सौर मित्र अक्षय ऊर्जा शॉप" हेतु किये जाने वाले पंजीयन की वैधता एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी तथा लक्ष्य पूर्ति करने वाले सौर मित्र अगले वर्ष राशि रूपये **1,000/- (लागू दर अनुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त)** नवीनीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। जो सौर मित्र निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पायेंगे वह नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।
16. किसी इकाई को इस नीति का पालन न करने की स्थिति में बिना कारण बताये उसकी अहर्ता समाप्त करने के सर्वाधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे।
17. उपरोक्त नीति को आंशिक/पूर्ण रूप से शिथिल करने का अधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होंगे।

रूपये 100/- के स्टॉप पेपर पर

-//अनुबंध//-

यह अनुबंध आज दिनांक वर्ष मेसर्स
पता(तदउपरांत सौर मित्र के नाम से संबोधित किया जाएगा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जोकि सोसायटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है तथा जिसका कार्यालय ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, वी.आई. रोड़, ग्राम फुण्डहर, रायपुर (तदउपरांत क्रेडा के नाम से संबोधित किया जावेगा) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया है :-

1. क्रेडा विकासखण्ड-, जिला-.....में सौर उत्पादों के (तदउपरांत कार्य के नाम से संबोधित किया जाएगा) विक्रय हेतु मार्केट मोड में सौर मित्र के तौर पर पंजीकृत करने हेतु प्रतिबद्ध है। सौर मित्र मार्केट मोड 2022-23 के दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करने हेतु सहमत है।
2. इस बात पर भी सहमति है कि दिशा-निर्देश के किसी भी हिस्से की व्याख्या के संदर्भ में होने वाले विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।
3. "सिस्टम इंटीग्रेटर/वेण्डर/कॉन्ट्रैक्टर/सौर मित्र" सीधे किसी भी शासकीय विभागों/संस्थाओं (जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन प्रबंधन समिति इत्यादि) में शासकीय राशि से कार्य करने हेतु पात्र नहीं होंगी। पंजीकृत इकाईयों को क्रेडा की निविदा में भाग लेने एवं अर्ह पाये जाने पर अनुबंध निष्पादन उपरांत ही शासकीय संस्थाओं में कार्य करने का अवसर क्रेडा द्वारा दिया जायेगा।
4. इस बात पर भी सहमति है कि मार्केट मोड योजना 2022-23 की समस्त शर्तें एवं स्वीकृतियां मान्य करने के लिए बाध्य होंगे, एवं सौर मित्र किसी शासकीय विभाग/संस्था में सीधे कार्य करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। यदि सौर मित्र द्वारा किसी शासकीय विभाग/संस्था में सीधे कार्य किया जाता है तो बिना कोई सूचना के क्रेडा द्वारा पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा।
5. इस बात पर भी सहमति है कि किसी भी विवाद की स्थिति में निराकरण हेतु सभी अधिकार न्यायालय, रायपुर के पास होंगे।

दो गवाहों की उपस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये ।

सील एवं हस्ताक्षर'

'सौर मित्र' की ओर से

क्रेडा की ओर से

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

गवाह :-

गवाह :-

हस्ताक्षर
नाम
पता

हस्ताक्षर
नाम
पता